न्यायालयः— साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर (म.प्र.)

<u>दांडिक प्रकरण क.-414/09</u> <u>संस्थापित दिनांक-04.09.2009</u> Filling no. 235103001422009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।अभियोजन विरुद्ध 1— रामसिह पुत्र सरदार सिह उम्र 43 साल निवासी–ग्राम मोहरी तहसील चंदेरी जिला—अशोकनगर म0प्र0आरोपी

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 25.04.2017 को घोषित)

01— आरोपी के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 294, 324, 190 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 17.03.2009 सुबह करीब 8:30 बजे ग्राम मोहरी में फरियादी अतल सिंह का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा अतल सिंह को लोक स्थल पर मां—बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं अतल सिंह को धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं अतल सिंह को लोक सेवक की सुरक्षा में आवेदन देने से विरत रहने के लिये जान से मारने की धमकी दी।

02— अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी अतलसिह अपनी पत्नी व भतीजे माखन के साथ थाना पिपरई में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक दिनांक 17.03.2009 सुबह करीब 8:30 बजे ग्राम मोहरी में गेहूँ करने खेत में जा रहा था। सुबह करीब 8:30 बजे की बात है जैसे ही फरियादी हरी लोधी के घर के सामने पहुँचा तो गाँव का रामसिह लोधी ने एकदम उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया और उसे मां बहन की अश्लील गालियां देने लगा, गाली देने से मना किया तो आरोपी रामसिह ने उसे छोटी तलबार से मारा जिससे उसे बांये कंधे में चोट आयी खून निकल आया, एक वार रामसिह ने छोटी तलवार से और किया जो उसके दांहिने हाथ की कलाई में लगकर चोट लगकर खून निकल आया। मौके पर हरी लोधी था। रामसिह ने उसे धमकी दी कि अगर पुलिस में रिपोर्ट की तो उसे जान से खत्म दुंगा और कह कर भाग गया। फरियादी ने अपने घर पहुँचा वहा अपनी पत्नी पिस्ताबाई को खेत मे बुलाकर जानकारी दी फिर तारई के अपने रिश्तेदार को द्रेक्टर बुलवाकर थाना पिपरई में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का

//2//दाण्डिक प्रकरण कमांक-414/09

नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :--

- 1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 17.03.2009 सुबह करीब 8:30 बजे ग्राम मोहरी में फरियादी अतल सिह का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?
- 2. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर अतल सिंह को लोक स्थल पर मां—बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?
- 3. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर अतल सिंह को धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 4. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर अतल सिंह को लोक सेवक की सुरक्षा में आवेदन देने से विरत रहने के लिये जान से मारने की धमकी दी ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

विचारणीय प्रश्न क. 1, 2 व 4:-

05— विचारणीय प्रश्न क. 1, 2 व 4 एक—दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। पिस्ताबाई अ0सा01, अतल सिह अ0सा02, सीताराम अ0सा03, हरिसिह अ0सा04, माखन सिह अ0सा05 का कहना है कि वह अभियुक्त रामसिह को जानते है। साक्षी पिस्ताबाई अ0सा01 और अतल सिह अ0सा02 ने उनके न्यायालयीन कथनो में बताया कि घटना उनके न्यायालयीन कथनो से 3—4 वर्ष पूर्व की होकर सुबह करीब 8 बजे की है। प्रकरण में फरियादी/आहत अतल सिह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 में आरोपी रामसिह का एकदम सामने आकर रास्ता रोकने और मां बहन की बुरी—बुरी गालियां देना एवं पुलिस में रिपोर्ट करने पर जान से खत्म कर देना व्यक्त किया, किन्तु स्वयं फरियादी/आहत अतल सिह अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनो में

//3//दाण्डिक प्रकरण कमांक-414/09

आरोपी रामसिह द्वारा उसका रास्ता रोकने वाली बात व्यक्त नहीं की है और न ही यह व्यक्त किया है कि आरोपी रामसिह द्वारा उसे गालियां दी गई थी और न ही यह व्यक्त किया है कि उक्त गालियां उसे सुनने में बुरी लगी और उसे क्षोभ कारित हुआ हो।

- 06— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात को स्वीकार किया कि आरोपी ने उसे घटना दिनांक के बाद बुरी बुरी गालिया दी थी और जान से खत्म कर देना भी व्यक्त किया। विष्णु प्रसाद वि० म०प्र० राज्य 1975 जे.एल.जे 148 में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मां बहन की गालियां अश्लीलता की परिधि में नहीं आती है ऐसे शब्द अभद्र तो हो सकते है किन्तु अश्लील नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनिय है कि प्रकरण में स्वयं फरियादिया/आहत अतल सिह द्वारा उसके कथनो में स्पष्ट रूप से यह तथ्य भी नहीं आया कि अभियुक्त ने उसे कौन से शब्द उच्चारित कर गालियां दी थी। स्पष्ट शब्दों के संबंध में साक्ष्य न होने से यह प्रमाणित नहीं पाया जा सकता कि अभियुक्त द्वारा उच्चारित शब्द अश्लील होकर किसी सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मस्तिष्क को भ्रष्ट करने में समर्थ है।
- 07— अतल सिंह अ0सा02 से अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि आरोपी ने कहा कि अगर तूने घटना की तो जान से खत्म कर देगे। उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त वर्तमान विचारणीय प्रश्न कमांक 4 के संबंध में अभिलेख पर अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। फरियादी अतल सिंह अ0सा02 ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा दी गई अभिकथित धमकी से वह लोक सेवक की संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रहा हो, इसके विपरीत फरियादी द्वारा घटना दिनांक को ही अभियुक्त के विरूद्ध थाना पिपरई में रिपोर्ट लेख कराना दर्शित है जिससे यह दर्शित नहीं है कि फरियादी घटना दिनांक को लोक सेवक की संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रहा हो।
- 08— फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवचेना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी अतल सिंह अ0सा02 का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया, मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया तथा लोक सेवक की संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रहने हेतु जान से मारने की धमकी दी।

विचारणीय प्रश्न क. 3:-

09— अतल सिंह अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि घटना उसके न्यायालयीन कथनों से करीब 3 साल पहले की होकर सुबह 8 बजे की है। आरोपी रामिसह ने उसे कटार या कृपाण से मारा था जो उसके बांए हाथ में कंधे तरफ एवं दांये हाथ के दडा में लगी थी जिसके निशान आज भी बने हुए है। आरोपी मारपीट कर भाग गया था। अतल सिंह अ0सा02 ने उसके न्यायालयी कथनों में बताया कि

//4//दाण्डिक प्रकरण कमांक-414/09

उसने घटना की रिपोर्ट थाने पर की थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसे पिपरई से मुंगावली इलाज के लिये भेजा था और बाद में ईलाज के लिये गुना भेजा था। साक्षी से यह पूछे जाने पर की घटना स्थल पर कौन कौन था तो साक्षी ने कहा कि वह तो बेहोश हो गया था। उक्त साक्षी ने बताया कि जप्ती पत्रक प्र.पी.2 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में साक्षी अतल सिह ने व्यक्त किया कि आरोपी द्वारा जब उसे मारा गया तब वह होश में था लेकिन जैसे ही उसे चोट लगी वह बेहोश हो गया था। टीकाराम अ०सा०3 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि उसे उसके भाई ने घटना के बारे में एक महीने बाद बताया था और उसके भाई अतल सिह ने आरोपी द्वारा मारने के संबंध में घटना के पूर्व संदेह व्यक्त किया था।

- 10— अतल सिह अ0सा02 द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में बताया कि जब वह खेत पर जा रहा था तो रघुराज के दरबाजे पर हरी और रामसिह दोनो बैठे थे, जबिक हिरिसिह अ0सा04 द्वारा उसके न्यायालयीन कथनो में अभियोजन के सम्पूर्ण घाटना कम के संबंध में कोई जानकारी न होना व्यक्त किया हैं। इस प्रकार साक्षी हिरीसिह की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। पिस्ताबाई अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि घटना उसके न्यायालयीन कथनो से करीब 4 साल पहले की है वह खेत पर चना काटने गई थी वह आगे निकल गई थी और उसका पित अटल सिह पीछे आ रहा था तो आरोपी रामसिह ने आधे हाथ की कृपाण से हाथ में मारा था फिर उल्टे हाथ के सामने तरफ तलबार मारी थी। पिस्ताबाई अ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में इस बात को स्वीकार किया कि घटना के समय वह खेत पर थी और उसने घटना होती नहीं देखी है लेकिन उसने व्यक्त किया कि थोडे ही समय में उसे घटना का पता चल गया था कि आरोपी ने उसके पित के साथ मारपीट की है।
- 11— डॉ. दिनेश त्रिपाठी अ०सा०६ ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह दिनांक 17.03.09 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुंगावली में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ होकर आहत अतल सिंह का मेडिकल परीक्षण किया था। मेडिकल परीक्षण किये जाने पर बांए कंधे पर आगे की तरफ 3 गुणा 1 गुणा 2 सेमी गहरा घाव एवं दांए हाथ की हथेली पर 3 गुणा 1/2 गुणा 1/2 सेमी का कटा घाव था। उक्त दोनो चोटे किसी ठोस व धारदार वस्तु से प्रहार से आना व्यक्त किया। साक्षी अतल सिंह के कथनो की समपुष्टि सुसंगत चिकित्सीय रिपोर्ट प्र.पी. 7 से भी होती है।
- 12— परमाल सिंह चौहन अ०सा०७ के अनुसार वह दिनांक 17.03.09 थाना चंदेरी में एएसआई के पद पर पदस्थ होना बताया है। चुंकि प्रकरण थाना पिपरई का है एवं उक्त साक्षी के कथनों में थाना चंदेरी सहवनवश लिखा होना प्रतीत होता है जोकि एक लिपिकिय त्रुटि मात्र है। उक्त साक्षी का कहना है कि उसके द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई थी जिसमें साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार दर्ज किये थे और घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी. 6 हरीसिह की निशानदेही पर तैयार किया जाना व्यक्त किया जिसक बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है और आरोपी रामसिह

//5//दाण्डिक प्रकरण कमांक-414/09

को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 3 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं तलाशी पंचनामा प्र.पी. 8 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी परमाल सिंह अ०सा० 7 द्वारा व्यक्त किया कि तलाशी में उसे कोई हथियार जप्त नहीं किया था क्योंकि तलाशी में कोई हथियार नहीं मिला था। यद्यपि यह बात सही है कि आहत अतल सिंह अ०सा०2, पिस्ताबाई अ०सा०1 द्वारा आरोपी रामसिंह द्वारा अतल सिंह को जिस हथियार से मारना प्रकट किया है उक्त हथियार अंनवेषण में पुलिस जप्त करने में नाकाम रही है। किन्तु प्रकरण में अपराध में प्रयुक्त हथियार जप्त न होने से अभियोजन कहानी अपना महत्व नहीं खो देती है।

13— डॉ. दिनेश त्रिपाठी अ०सा०६ द्वारा आहत को आई हुई चोटे किसी धारदार पत्थर या पत्थर के टूकडे पर गिरने से आ सकना संभव होना स्वीकार किया है। किन्तु उक्त प्रकार की संभावना किसी भी साक्षी के परीक्षण के दौरान नहीं पूछी गई है। म०प्र० शासन बनाम हमीम खांन 1999 "2" जेएलजेपी—310 में माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि यदि आहत को आई हुई चोटो का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से होता है तो ऐसी साक्ष्य को विश्वसनीय माना जा सकता है।

14- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अतल सिह द्वारा पूर्व विवाद के चलते अभियुक्त कि विरुद्ध झुठी रिपोर्ट लिखाई है किन्तु इस संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है इसके अलावा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य में विरोधाभास है जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है। रोकड सिंह बनाम म0प्र0 राज्य एमपीएलजे 1996 पेज 57 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि साक्षी द्वारा वृतांत का वर्णन भाषा व तरीके में फेरफार स्वाभाविक है उससे वृतांत की यथार्थता प्रभावित नहीं होती है, इसके विपरीत वृतांत में एक राय से साक्षी को सिखाने पढाने का संकेत मिलता है। फरियादी अतल सिंह अ०सा०२, पिस्ताबाई अ०सा०१ के कथन प्रतिपरीक्षण में सारतः अखण्डनीय रहे है तथा अतल सिह अ०सा०२ के कथनो की संमपुष्टि अविलम्ब सुसंगत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 से भी होती है तथा आहत को आई हुई चोटो का समर्थन डॉ. दिनेश त्रिपाठी अ०सा०६ के कथनो से भी होता है। अभिलेख पर आहत अतल सिंह एवं अन्य साक्षीगण की साक्ष्य को खारिज किये जाने हेतू किसी भी प्रकार के बड़े विरोधाभास अथवा लोप नहीं है तथा फरियादी अतल सिंह के कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः साक्षीगण के कथनो के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त रामसिह द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अतल सिंह को धारदार अस्त्र से मारपीट कर उपहति कारित की।

15— जहाँ तक अभियुक्त द्वारा स्वेच्छ्या उपरोक्त उपहित कारित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्त उसके द्वारा किये जा रहे कृत्य एवं उपयोग में लाये गये साधनों को काम में लाते समय यह

//6//दाण्डिक प्रकरण कमांक-414/09

जानता था या यह विश्वास रखने का कारण रखता था कि उक्त कृत्य से आहत को उक्तानुसार चोटें आना संभावित है। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा के अधिकार या गंभीर प्रकोपन के परिणामस्वरूप आहत को उपरोक्त चोटें कारित किया जाना दर्शित नहीं है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत अतल सिंह को धारदार अस्त्र से मारकर स्वेच्छ्या उपहित कारित की गयी। अतः अभियुक्त को प्रमाणित अपराध धारा 324 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाया जाता है।

16. दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता हैं।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

पुनश्चः–

17— अभियुक्त पक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त की ओर से प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुये कम से कम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया हैं। प्रकरण के तथ्य, आहत को आयी चोटें एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है—

धारा	सश्रम कारावास	अर्थदण्ड राशि	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में सश्रम कारावास
324 भा0द0स0	छह माह	200 / — रूपये	10 दिवस

- 18— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अविध के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 19— प्रकरण में जप्तशुदा एक खून आकूदा सफेद बिनयान, कथैई पेन्ट खून आकूदा, आस्मानी शर्ट खून आकूदा मूल्यहीन होने से अपील अविध पश्चात नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

//7//दाण्डिक प्रकरण कमांक-414/09

20- अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। दिनांकित कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र0